न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 141 / 2020	**जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020 / 00115**
दायर दिनांक :– 05.11.2020	**निर्णय दिनांक :– 25.10.2024**

1. सुजानकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. अनोपसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. पदमसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. सन्तोष पत्नि करनसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. मोहनकंवर पत्नि करनसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1- भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2- भोमसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3- तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सौलंकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलक्टर जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भोजनगर तहसील बाप में खसरा नम्बर 15 रकबा 74.16 बीघा भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत 2073–2076 संलग्न दावा पेश है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त अनवरत है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर फसल एव प्राकृतिक पैदावार लेते है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का [illegible] भूमि से कोई हक हिस्सा सरोकार नहीं है। वादी संख्या 5 के आवेदन पर [illegible] आदेश क्रमांक पृष्ठ संख्या 04 क.सं. 63 दिनांक 10.07.2020 की पालना में दिनांक [illegible] 2020 को पटवारी हल्का शेखासर द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों [illegible] 15 ग्राम भोजनगर की पैमाईश की गई। पैमाईश करने पर खसरा नम्बर 15 ग्राम भोजनगर में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 12 बीघा भूमि पर अतिकृमण किये जाने की जानकारी हुई, उक्त रकबा 12 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

25.10.24

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

[2020/00115]

संख्या 1 व 2 द्वारा आवास टांके वगैरा अवैध रूप से अतिचार कर निर्माण कर रखे है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्द पैमाईश मे दर्शित मार्क ए. बी. सी. डी. खसरा नम्बर 15 की वादीगण की रकबा 12 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाजायज अतिचार को वादीगण हटवाने के अधिकारी है। फर्द पैमाईश मे प्रतिवादीगण अतिचार को नजरी नक्शा मार्क अनुसार दर्शित किया गया है नजरी नक्शा को वाद का अभिन्न अंग माना जावे। वादीगण पिछले तीन चार वर्षो से वादग्रस्त भूमि से अन्यत्र बीकानेर व अन्य स्थानों पर निवास कर रहे है इस वजह से पिछले 2 वर्षो में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण की खसरा नम्बर 15 की रकबा 12 बीघा भूमि में उक्त अतिचार किया गया है। दिनांक 19.08.2020 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर अतिक्रण हटाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अतिक्रमण जल्द हटा लेने का आश्वासन दिया, लेकिन एक माह से भी अधिक समय तक अतिक्रमण न हटाने पर दिनांक 10.10.2020 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपना अतिक्रण हटाने का कहा तो उन्होने अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर दिया एवं धमकी दी कि हम तो और अधिक अतिक्रमण करेगे तुम जो चाहो करो। जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन किया जाना सम्भव नहीं होगा इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है जिस हेतु यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं पेश करने पर जवाब बंद किया गया। वादी संख्या 3 पदमसिंह ने अपने साक्ष्य का शपथ पेश किया एवं बयान पी.डब्लू–1 कलमबंद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता वादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है वादीगण साक्ष्य बंद की जाती है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश नहीं किया तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी–1 खाता संख्या 63 ग्राम भोजनगर पटवार हल्का शेखासर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 15 रकबा 74.16 बीघा किस्म बारानी–2 के अभिलिखित काश्तकार है। पैमाईश फर्द ग्राम भोजनगर के खसरा नंबर 15 रकबा 74.16 बीघा भूमि की पैमाईश की गई जिसे सभी ने सही स्वीकार किया। मौके पर भोमसिंह व भंवरसिंह का कब्जा है जिसमें दो पक्के मकान व तीन टांका बनाकर 12 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। कार्यालय उप तहसीलदार शेखासर के पत्र क्रमांक 63 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैमाईश फर्द अनुसार खसरा नम्बर 15 रकबा 74.16 बीघा वादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भूमि का मौका देखने पर पाया गया कि रकबा 12.00 बीघा भूमि पर दो पक्के मकान व तीन टांका जो कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 में होना पाया

25.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

गया। उक्त मकान व टांका भोमसिंह व भंवरसिंह द्वारा बनाये गये जो खसरा नंबर 15 में लगभग 12 बीघा में कब्जा होना पाया गया जिसका उल्लेख पटवारी हल्का ने मौका फर्द में भी किया है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 74.16 बीघा के अभिलिखित काश्तकार नहीं है और पत्रावली में संलग्न सीमा ज्ञान फर्द मौका व तहसीलदार बाप की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 15 में लगभग 2.10 बीघा में प्रतिवादीगण ने दो पक्के मकान व तीन टांका बनाकर कब्जा कर रखा है। अर्थात् प्रतिवादीगण ने अतिक्रमी की हैसियत से बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना विधिपूर्ण अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाये रखता है तो ऐसे अतिचारी को बेदखल किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 74.16 बीघा सरहद मौजा भोजनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा रकबा 12.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाये गये दो पक्के मकान एवं तीन टांका हटाये जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested